FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

आसुराम बनाम चौथाराम व अन्य

किस्म मुकदमा RP आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 240 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.7.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7.8.19 को पेश हो। [signature]	
07/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो। [signature]	
15/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन कीया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेठा सेठ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठों पर जो पुरानी माठे व कठे आये हुए थे जो वर्तमान आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठो का सही ज्ञान नहीं	

P.T.O.

Scanned by CamScanner

हो रहा है। बर्षात की आवक होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सैढो को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत मे खेती कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के बिच मे तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार कीया जाकर नेखमबन्दी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू. अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल मिशल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

15.10.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

प०/10/८

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 658

दिनांकः– 15-10-19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जालुराम पुत्र आदूराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. चौथाराम पुत्र नवलाराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 240/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 751/34 रकबा 30.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांक 15-10-19

क्रमांक/वाद/2019/ 659-63

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री जालुराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री चौथाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:05:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: